

**प्रस्तावित भवन मानचित्रों हेतु चैकलिस्ट**

1	आवेदक का नाम			
2	भूखण्ड का विवरण			
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल			
4	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई			
5	भूखण्ड के आवंटन की प्रकृति -90ए/90बी के तहत आवंटित/नीलामी/रियायती पर आवंटित			
6	पुर्नगठित/एकल पट्टा/ उप विभाजन/ एकल पट्टों से पुर्नगठित			
7	परियोजना-समूह आवास/मुख्यमंत्री जन आवास योजना/ फ्लैट्स/स्टूडियो अपार्टमेन्ट/ व्यावसायिक/होटल/ मिश्रित उपयोग/वेयर हाउस/रिसोर्ट/मोटल/पर्यटन विभाग में पंजीकृत हैं तो।			
8	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक			
<b>प्रस्तावित भवन मानचित्रों का तकनीकी विश्लेषण</b>				
● एयरपोर्ट एन.ओ.सी. आवश्यक हैं अथवा नहीं				
9	<b>तकनीकी विश्लेषण</b>	<b>न्यास द्वारा जारी साईट प्लान के अनुसार</b>	<b>बीडा मॉडल भवन विनियम- 2021 के अनुसार</b>	<b>प्रस्तावित भवन के मानचित्रों अनुसार</b>
	1	सैटबैक		
		सामने		
		पार्श्व-1		
		पार्श्व-2		
		पीछे		
	2	अधिकतम आच्छादन		
	3	अधिकतम ऊँचाई		
	4	सकल निर्मित क्षेत्रफल		
	5	बी.ए.आर		
	6	पार्किंग		
	7	अग्निशमन गलियारा		
	8	<b>फैसिलिटी</b>		
	यू.जी. टैंक, फायर टैंक व पम्प हाउस			
	गार्डरूम व एल.टी मीटर रूम			
9	10.3.2(ix) 30मी0 से अधिक उँचाई के भवनों हेतु स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्र			
10	10.3.2(x) भवन में अपेक्षित सेवाओ हेतु मानचित्रों के 2 सैट निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्			
11	10.3.2(viii)- 40 मी0 से अधिक उँचाई हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति			
12	10.11.1:- वर्षा जल संग्रहण का चिन्हिकरण			

13	10.11.2:- अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण व रिसाईकलिंग			
14	10.11.2(4) सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का प्रावधान			
15	10.11.3:- पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण			
16	10.11.4(ii)सोलिड वेस्ट का टोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेंद्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाना होगा।			
17	12.1.2:- आगन्तुक पार्किंग का दर्शाया जाना			
	12.1.15:- पार्किंग के प्रावधानों की पालना			
18	12.1.18:- पार्किंग सर्कुलेशन प्लान			
19	14:- विशेष योग्यजनों हेतु प्रावधान			
	प्रवेश पथ/उप पथ/पहुँच मार्ग/रेम्प			
	शौचालय			
	पार्किंग			
20	17.1:- Consent to operate (पर्यावरण विभाग से प्राप्त किया जाना)			
23	रेरा रजिस्ट्रेशन (मय विवरण)			
24	पंजीकृत पर्यटन ईकाई/समुह आवास में कमरों/फ्लैट्स की संख्या			
25	ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. के आवासों का प्रस्ताव अथवा 100/- प्रति व.मी. की दर से बी.एस.यू.पी. शैल्टर फण्ड देय है।			
26	भवन विनियम के अनुरूप बिना अनुमति निर्माण शास्त्रि			
27	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(9)नविवि/2020 पार्ट-III दिनांक 10.08.2023 के अनुसार लेबर सेस			
28	अग्निशमन शुल्क			
29	प्रस्तावित बी.ए.आर. ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. हेतु			
30	सौर उर्जा का प्रावधान			

अन्य विवरण:-